BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.416 OF 2025

IN THE MATTER OF: -
Shri Gopal Chandra Vanwassi ...Applicant

Versus

Indian Oil Corporation Ltd. and Ors. ...Respondents

N.D.O.H. 04.02.2026

INDEX

S.No.	Particulars	Page No.
1.	Additional Affidavit on behalf of the Respondent No.2 Devendra Singh Khati	1-9
2.	**ANNEXURE A-1** A copy of FIR No. 25 of 2025 dated 22.11.2025 against the applicant.	10-15
3.	**ANNEXURE A-2** A Copy of Order dated 04.12.2025 passed by the Court of Session Judge, Bageshwar in Bail Application No.75 of 2025.	16-19
4.	**ANNEXURE A-3** A Copy of Report dated 23.05.2025 considered by the District Magistrate.	20-21
5.	**ANNEXURE A-4** A Copy of Letter dated 11.12.2025 issued by the Village Panchayat Development Officer, Village Uprada, Gangolihaat.	22

6.	**ANNEXURE A-5** A Copy of Certificate dated 23.02.2024 issued by the Pradhan of Gram Panchayat, Uprada, Gangolihaat, District Pithoragarh.	23
7.	**ANNEXURE A-6** A Copy of relevant provision of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023.	24-26
8.	**ANNEXURE A-7** A Copy of Order dated 25.01.2024 passed by Sub-Divisional Magistrate, Gangolihaat.	27-28
9.	PROOF OF SERVICE.	29

Place: New Delhi
Filed On: 02.02.2026

Filed By:

VIVEK GUPTA
Advocate for Respondent No.2
Ch. No.221, Additional Building,
D-Block, Supreme Court of India,
New Delhi-110001
M.No.9871065420
officevivekgupta@gmail.com

1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.416 OF 2025

IN THE MATTER OF:-
Shri Gopal Chandra Vanwassi ...Applicant

Versus

Indian Oil Corporation Ltd. and Ors. ...Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.2, DEVENDRA SINGH KHATI

I, Devendra Singh Khati S/o. Shri Pushkar Singh Khati, R/o. Uprada, P.O. Dasaithal, Block Gangolihat, District Pithoragarh, Uttarakhand, present at New Delhi, do hereby solemnly affirm and state as under: -

1. That I am the Respondent No.2/ Project Proponent in the above mentioned matter and as such fully acquainted with the facts of the case, hence competent to swear this affidavit.

2. That the applicant has filed the present application on the basis of false and frivolous facts having no substance on merits and has concealed material facts from this Hon'ble Tribunal. The applicant has no grievance in fact and has no cause of action in filing the present application as the applicant has no locus standi to file the present application and he has filed the present application for his personal oblique motives.

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

3. That the aforesaid Application has been filed by the applicant with the prayer that the direction may be issued to the respondents to quash and set aside the permissions and NOCs issued in favour of Respondent No. 2 for establishing the proposed petroleum outlet and halt further activities at the site. The aforesaid Application has been filed on the basis of false and frivolous facts having no substance on merits and the applicant in his Application as well as Rejoinder has concealed material facts from this Hon'ble Tribunal. The Respondent No. 2 has duly obtained the necessary permissions and sanctions from all the competent authorities and has established the said petroleum outlet in compliance with the Guidelines issued by CPCB, PESO and other competent Authorities.

4. That the Respondent No. 2 has already filed its reply and has specifically stated that the Respondent No. 2 has obtained all the necessary permissions and sanctions from the all the competent authorities to establish the said petroleum outlet, which are already on record filed with the reply. The said petroleum outlet has been approved and established fully in compliance to the Guidelines issued by CPCB, PESO and in compliance to the various orders passed by the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Courts and this Hon'ble Tribunal. The Respondent No. 2 is filing the said Additional Affidavit to place on record certain other material documents showing that the Applicant has filed the present application on

NOTARY PUBLIC ★ GOVT. OF INDIA ★ Sangita Mishra Advocate Delhi Regn. No. 16967 Date of Expiry 31-01-2030

the basis of false facts and has concealed material facts from this Hon'ble Tribunal for his oblique motives.

5. That the Applicant is a habitual offender and has a long history of extracting money by demanding illegal gratification from various other project proponents and thus present application has also been filed for these oblique motives. The Applicant extort money from project proponents by blackmailing them and demanding illegal gratification, otherwise threaten them to get the work of the project stopped by filing false complaints before the Courts of law and competent authorities.

6. That Respondent No. 2 has already stated in its reply about an FIR No. 21 of 2025 dated 19.09.2025, registered at P.S. Baijnath, District Bageshwar against the applicant for demanding illegal gratification. Apart from the said FIR, the Respondent No. 2 has got to know that another FIR bearing FIR No. 25 of 2025 dated 22.11.2025 has been registered against the applicant under Sections 308(2) and 308(6) of B.N.S., 2023 for extortion and blackmailing. The said FIR has been registered against the applicant Gopal Chandra Vanwassi as he was threatening the complainant, Shri Balwant Singh and was demanding Rs. 1 Lakh from the complainant. The Applicant, Gopal Chandra Vanwassi threatens the villagers that he has got many orders from High Courts and other Tribunals in his favour to demolish houses of people and to stop various projects, therefore, if money is not given to the applicant, then he will get

NOTARY PUBLIC ★ GOVT. OF INDIA ★
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-..-2030

favourable orders from courts for demolition of houses by filing false complaints. Moreover, the applicant apart from threatening also impose false allegations on people through his Facebook and other Social media accounts on the basis of fake documents. Thus, the Applicant is in a habit of extorting money by filing false and frivolous complaints against villagers and project proponents. A copy of FIR No. 25 of 2025 dated 22.11.2025 against the applicant is enclosed herewith as **ANNEXURE A-1**.

7. That the applicant Gopal Chandra Vanwassi is a habitual offender and he always threaten people of the nearby area by blackmailing them and demanding money. The applicant filed a Bail Application No.75 of 2025 in Case Crime No.25 of 2025 under Section 308 (2) and 308 (6) of B.N.S., 2023 before the Ld. Sessions Judge, Bageshwar. In this matter, the Ld. Trial Court in its Order dated 04.12.2025, recorded that the applicant is a habitual offender and the applicant demanded Rs.1 lakh, otherwise he threatened to get an order of demolition from courts. Moreover, the Ld. District and Sessions Judge also recorded in its order that the applicant in another Case Crime No.06 of 2021, was sentenced to 7 years rigorous imprisonment and a fine of Rs.20,000/- on 30.07.2013 by the Hon'ble District and Sessions Court, Bageshwar under Section 366 and 306 of I.P.C. A Copy of Order dated 04.12.2025 passed by the Court of Sessions Judge, Bageshwar in Bail Application No.75 of 2025 is enclosed herewith as **ANNEXURE A-2**.

NOTARY PUBLIC ★ INDIA ★ GOVT. OF
Sangita Mishra
Advocate
Delhi

8. That the respondent no.2 further sought an RTI from Public Information Officer, District Supply Office, Pitthoragarh seeking information regarding approval for opening the new Petrol Pump of Indian Oil Corporation Ltd. at Gangolihaat, District Pitthoragarh. The respondent no.2 received a Report, which was considered by the District Magistrate after receiving the on-spot information from all the competent officials of various departments for granting NOC to respondent no.2 after reviewing the CPCB Guidelines. The said report clearly indicates that at present, no area has been declared as 'designated residential area' in Village Panchayat Uprada. This Report shows that the competent departments considered the decision of the Hon'ble High Court of Kerala in W.P. (C) No.11578 of 2022, wherein it was held by the Hon'ble Court that the term 'residential area designated as per local laws' cannot be interpreted to mean a 'residential house'. In view of this judgment, it was noted that since the respondent no.2's house is not situated in legally designated residential area, therefore there is no violation of siting criteria. A Copy of Report dated 23.05.2025 considered by the District Magistrate is enclosed herewith as **ANNEXURE A-3**.

9. That the applicant in his rejoinder has falsely enclosed a Letter dated 14.11.2025 by Village Panchayat Development Officer, Uprada stating that the Original response to the RTI dated 25.04.2024 issued by the Block Development Officer, Gangolihaat was wrong and misconceived. It

NOTARY PUBLIC ★ INDIA ★ GOVT. OF INDIA
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-0?-2030

6

is submitted that the applicant is trying to mislead this Hon'ble Tribunal as the Official Response of the Block Development Officer, relied by the respondent no.2 in its reply is correct since the Block Development Officer is the only competent person, who can give the true, correct and actual information instead of the Village Panchayat Development Officer. Therefore, the information provided by the Block Development Officer in its reply may be relied upon.

In so far as the Letter dated 14.11.2025 is concerned, it is submitted that the said letter was written by Village Panchayat Development Officer without providing true and correct information and he was not aware that the competent Block Development Officer has already given correct findings in the reply. When the concerned Village Panchayat Development Officer got to know about the true facts, then he issued another clarification letter dated 11.12.2025, revoking his earlier letter dated 14.11.2025 (relied upon by the applicant). The said Village Panchayat Development Officer stated in his letter dated 11.12.2025 that his earlier letter dated 14.11.2025 was not in accordance with the relevant legal provisions and therefore the information provided by him in Letter dated 14.11.2025 should be considered as cancelled. A Copy of Letter dated 11.12.2025 issued by the Village Panchayat Development Officer, Village Uprada, Gangolihaat is enclosed herewith as **ANNEXURE A-4**.

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

10. That the Pradhan of Gram Panchayat, Uprada, Gangolihaat District Pitthoragarh has also issued a Certificate dated 23.02.2024 certifying that in Gram Panchayat, Uprada, Gangolihaat, District Pithoragarh, till date no area has been separately designated as a 'residential area'. A Copy of Certificate dated 23.02.2024 issued by Pradhan of Gram Panchayat, Uprada, Gangolihaat, District Pithoragarh is enclosed herewith as **ANNEXURE A-5**.

11. That as per Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, for the purpose of site development in one's own private land, levelling of land, digging of basements through excavator machines, permission of Sub-Divisional Magistrate on the recommendation of concerned Mining Inspector/ District Mining Officer is required. In such cases, the concerned land owner has to inform the Sub-Divisional Magistrate and District Mining Officer. As per the provisions of the said rules, the above mentioned activities do not come under the category of 'mining' and for such activities, 'Environmental Clearance' is not required. Thus, as per the provisions of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, the respondent no.2 is legally permissible to undertake excavation and levelling for the purpose of establishing a Petroleum Outlet on his own land and such activity cannot be considered as a mining activity and therefore, no Environmental Clearance for the same is required. A Copy

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 1696
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

8

of relevant provision of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023 is enclosed herewith as **ANNEXURE A-6**.

12. That in compliance to the provisions of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023, the respondent no.2 informed the District Mining Officer and Sub-Divisional Magistrate and sought their permission for excavation and levelling of land. It is submitted that the District Mining Officer, Pitthoragarh recommended and granted permission to the respondent no.2 to use JCB (Excavator) Machine for excavation and levelling his privately owned land for establishment of the Petrol Pump under the provisions of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023. Pursuant to this recommendation/ permission of District Mining Officer, Pitthoragarh, the Sub-Divisional Magistrate, Gangolihaat, vide Order dated 25.01.2024 has also granted permission to the respondent no.2 to use JCB (Excavator) Machine on the proposed land for excavation, levelling and establishing the Petroleum Outlet under the provisions of Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rules, 2023. A Copy of Order dated 25.01.2024 passed by Sub-Divisional Magistrate, Gangolihaat is enclosed herewith as **ANNEXURE A-7**.

13. That the applicant has filed the present application without having any substance on the merit and it is totally misconceived. The facts stated in the Application are totally false and the applicant is trying to mislead this

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

Hon'ble Tribunal. The present application has been filed for extraneous reasons in order to harass the Respondent No. 2.

14. That the Annexures of this Additional Affidavit are true copies of their respective originals.

15. That the facts stated in the above paragraphs of my additional affidavit are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

02 FEB 2026

Verified at New Delhi on this 2nd day of January, 2026 that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing has been concealed there from.

DEPONENT

NOTARY PUBLIC
Sangita Mishra
Advocate
Delhi
Regn. No. 16967
Date of Expiry
31-01-2030
GOVT. OF INDIA

Place: New Delhi
Filed On: 02.02.2026

Filed By:

I identify the deponent who has signed/T.I in my presence
Mr./Ms ANKIT VERMA Adv./Self
ID No.: D/414/2021

ATTESTED
Mrs. Sangita Mishra
Advocate Delhi
Regn. No. 16967
Govt. of India
Mob. No. 9990312780

VIVEK GUPTA
Advocate for Respondent No.2
Ch. No.221, Additional Building,
D-Block, Supreme Court of India,
New Delhi-110001
M.No.9871065420
officevivekgupta@gmail.com

NOTARIAL REGISTER
Sr. No. 472 PAGE 58
Dated 2-2-26 Reg. No. 5

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

ANNEXURE A-1

10

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** बागेश्वर **P.S. (थाना):** बैजनाथ **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0025 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 22/11/2025 22:34 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	308(6)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

Day (दिन): **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/11/2025 **Time (समय):** 22:10 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 039 **Date and Time (दिनांक और समय):** 22/11/2025 22:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): अदम तहरीर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

11

(a) **Name (नाम):** बलवन्त सिह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** दीवान सिह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1980 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम मेलाडुंगरी, गरुड, बैजनाथ, बागेश्वर, उत्तराखंड, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम मेलाडुंगरी, गरुड, बैजनाथ, बागेश्वर, उत्तराखंड, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-7409466010

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Permanent address (स्थाई पता)
1	गोपाल वनवासी		पिता का नाम : मदन राम	1. ग्राम रीठा,गरुड,बैजनाथ,बागेश्वर,उत्तराखंड ,भारत	1. ग्राम रीठा,गरुड,बैजनाथ, बागेश्वर,उत्तराखंड, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):** 12

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Nature of Property (संपत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में श्रीमान पुलिस थाना अध्यक्ष महोदय पुलिस थाना क्षेत्र बैजनाथ जिला बागेश्वर प्रार्थी- बलवन्त सिह पुत्र दीवान सिंह ग्राम मेलाडुगरी पो0 डगोली थाना बैजनाथ तहसील गरुड़ जिला बागेश्वर महोदय प्रार्थी निम्न निवेदन करता है कि गोपाल वनवासी पुत्र मदनराम निवासी ग्राम-रीठा वाले द्वारा आये दिन धमकी एव पैसो कि डिमान्ड की जा रही है प्रार्थी बर्तमान मै सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद पर कार्यरत है प्रार्थी पुर्व में भी ग्राम प्रधान सहित अन्य दायित्व का निर्वहन कर चुका है प्रार्थी को लम्बे समय से गोपाल वनवासी द्वारा विडियो कॉल एवं वाइस काल से रुपये एक लाख रुपये की मांग की जा रही है तथा विडियो कॉल के माध्यम से प्रार्थी को कहा जा रहा है कि मैने कई लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट से मकान ध्वस्त कराने का आदेश करा चुका हुँ आप मुझे एक लाख रुपये नही दोगे तो तेरे मकान का भी ध्वस्तीकरण करने का आदेश लाता हुँ उसके द्वारा मुझे लगातार धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि में तुमहारे पंचायत कार्यकाल के विकास कार्यों की जांच करा दूंगा तथा विगत वर्ष 10 वर्ष के कार्यकाल का सूचना मांग भी चुका है तथा इसको डाक के माध्यम से दे भी दिया गया है मैं तुम पर फर्जी निर्माण कर बिलों को निकालने का निराधार आरोप फेसबुक के माध्यम से लगा रहा है तथा सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से मेरी छवी को धूमिल करने का कार्य किया जा रहा है। पृष्ठ सं.- 2 जिससे मेरे नाते-रिश्तेदारो में मेरी बदनामी हो रही है जिससे मैं एवं मेरा परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है तथा इसके द्वारा कहा जा रहा है कि तु फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम चुनाव लड़ा है मै तुम्हारे चुनाव को भी निरस्त कराउंगा मैने पूर्व में भी फर्जी प्रमाण पत्र वाले मामले में थाना बैजनाथ में पंकजा कोहली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रखी है ऐसे ही मै तुम्हारे खिलाफ भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने व फर्जी बिल बनाकर सरकारी कार्य का भुगतान कराने का आरोप लगाकर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाकर जेल भिजवा दूंगा या मुझे समय रहते एक लाख दो नही तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहो मै तुम्हे छोड़ने वाले नही हुँ अतः महोदय से सादर निवेदन है कि उक्त ब्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है जो पूर्व में भी सजा काट चुका है तथा वर्तमान में रंगधारी के आरोप लग चुके है इस ब्यक्ति से मुझे जान माल का खतरा बन चुका है मेरी जान-माल की रक्षा करें तथा उक्त ब्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर प्राथिमिकी दर्ज करने की कृपा करें । प्रार्थी SD अंग्रेजी अपठित हस्ताक्षर बलवन्त सिह (उपरोक्त) दि0 21-11-2025 स्थान-गरुड़ संलग्न प्रति- फेसबुक पर अपलोड़ किये गये की छायाप्रति-कुल 6 प्रति HM/CC नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करें हस्ताक्षर अंग्रेजी अपठित प्रभारी कोतवाली महोदय बैजनाथ 21/11/2025 नोट में C/C प्रमाणित करता हुँ की नकल तहरीर शब्द व शब्द टंकित किया गया है कोई शब्द बड़ाया व घटाया नही गया है। कानि0 32 ना0पु0 राजेन्द्र प्रसाद कोतवाली बैजनाथ जनपद बागेश्वर दिनांक 22/11/2025

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2)

 14

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): UMESH SINGH RAJWAR **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): kailash singh bisht

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

15

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1979				चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

True Copy

ANNEXURE A-2

16

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश बागेश्वर।</u>

उपस्थितः श्री पंकज तोमर, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**75/2025**

CNR No. UKBA010002822025

प्रार्थी/अभियुक्त–गोपाल वनवासी

बनाम्

विपक्षी–राज्य सरकार।

प्र0सू0रि0सं0–25/2025
धारा–308(2) व 308(6) बी0एन0एस0
चालानी थाना–बैजनाथ,
जिला बागेश्वर।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्तागण ......**श्री विनोद भट्ट एवं श्री त्रिलोक चन्द्र जोशी।**
विपक्षी राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)....**श्री जी0बी0 उपाध्याय।**

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल वनवासी पुत्र श्री मदन राम, निवासी ग्राम रीठा, गरूड़, थाना बैजनाथ, जिला बागेश्वर की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 25/2025, अंतर्गत धारा 308(2) व 308(6) बी0एन0एस0, चालानी थाना बैजनाथ, जिला बागेश्वर में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र यह कहकर प्रस्तुत किया गया है कि–

प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फसाया गया है, जबकि वह निर्दोष है। उसका वर्णित अपराध से कोई लेना–देना नहीं है। वह दिनांक 25.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले का अभियुक्त एक आर0टी0आई0 कार्यकर्ता है। व्हीसल ब्लोवर एक्ट के तहत सर्तकता विभाग से प्रशस्ति पत्र प्राप्त है। प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा अभियुक्त द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने व अवैध अतिकमण के लिए कई जनहित याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी हैं। मामले का रिपोर्टर पूर्व ग्राम प्रधान है। उसके कार्यों की जांच करने के लिए अभियुक्त ने जिलाधिकारी बागेश्वर व उप जिलाधिकारी गरूड़ को पत्र लिखे थे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की सूचना मांगी गयी थी, जिससे बौखलाकर पुलिस से मिलकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। इससे पूर्व भी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध करीब एक माह पूर्व भी एक अ0सं0 21/2025, धारा 308(2), 308(4) व 316(2) बी0एन0एस0 दर्ज किया गया था, जिसे अभियुक्त ने मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, तब अभियुक्त को थाना बैजनाथ द्वारा धारा 35 बी0एन0एस0एस0 के नोटिस पर जमानत दी गई थी। पुलिस किसी भी प्रकार कुछ भ्रष्ट

लोगों के दबाव में कार्य कर कानून का दुरूपयोग कर अभियुक्त को प्रताड़ित कर रही है।

यह कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वह गम्भीर हृदय रोग से भी पीड़िता है तथा उसकी पत्नी भी 2016 से बीमार है। अभियुक्त द्वारा जमानत के दुरूपयोग की कोई संभावना नहीं है। वह घर का अकेला व्यक्ति है तथा सक्षम जामिनान प्रस्तुत करने को तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा नहीं किया गया, तो उसे गम्भीर क्षति होने की संभावना है। वह भविष्य की प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित रहने का वचन देता है।

अतः प्रार्थना की गई कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा कर दी जाये।

3. उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर विपक्षी राज्य को नोटिस प्रेषित किया गया और सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गई। न्यायालय के आदेश दिनांक 01.12.2025 के अनुपालन में विवेचक/उपनिरीक्षक उमेश रजवार, थाना बैजनाथ, जनपद बागेश्वर द्वारा कागज संख्या 7क से आख्या प्रेषित की गई, जिसे विपक्षी राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रसारित किया गया है। आख्या में प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया है।

4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहकर विरोध किया गया कि वादी मुकदमा बलवन्त सिंह द्वारा दिनांक 22.11.2025 को थाना बैजनाथ में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से लिखाई गई कि प्रार्थी वर्तमान में सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद पर कार्यरत है तथा प्रार्थी पूर्व में भी ग्राम प्रधान सहित अन्य दायित्वों का निर्वहन कर चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को लम्बे समय से गोपाल वनवासी द्वारा वीडियो कॉल एवं वाइस कॉल से एक लाख रूपये की मांग की जा रही है तथा वीडियो कॉल के माध्यम से प्रार्थी को कहा जा रहा है कि मैं कई लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट से मकान ध्वस्त कराने का आदेश करा चुका हूँ। आप मुझे एक लाख रूपये नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारे मकान को भी ध्वस्तीकरण कराने का आदेश लाता हूँ। उसके द्वारा मुझे लगातार धमकी देते हुए कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारे पंचायत कार्यकाल के विकास कार्यों की जांच करा दूंगा तथा विगत 10 वर्ष के कार्यकाल की सूचना मांग भी चुका है तथा फर्जी निर्माण कर बिलों को निकालने का निराधार आरोप

18

फेसबुक के माध्यम से लगा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त ने वादी मुकदमा को यह भी धमकी दी कि तूने फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से चुनाव लड़ा है। मैं तुम्हारे चुनाव को भी निरस्त कराऊंगा। मैंने पूर्व में भी फर्जी प्रमाण पत्र वाले मामले में थाना बैजनाथ में पंकज कोहली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ऐसे ही मैं तुम्हारे खिलाफ भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने व फर्जी बिल बनाकर सरकारी कार्य का भुगतान कराने का आरोप लगाकर मुकदमा लिखाकर जेल भिजवा दूंगा।

6. अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त आदतन अपराधी है एवं अभियुक्त को पूर्व में भी मुकदमा अपराध संख्या 06/2021, धारा 366 व 306 आईपीसी में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, बागेश्वर द्वारा दिनांक 30.07.2013 को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जा चुका है। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त अन्य मामले में भी वांछित है, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 21/2025, अन्तर्गत धारा 308(2), 308(4) व 316(2) बी0एन0एस0 है, जिसमें अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त आर0टी0आई0 कार्यकर्ता है एवं उसके पूर्व कथित आपराधिक इतिहास के संदर्भ में, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पर धारा 308(2) में उद्दापन का आरोप है, जिसमें सात साल के कारावास तक का प्रावधान है एवं यह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि धारा 308(6) का अपराध भी जमानतीय अपराध है एवं यह भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि यदि वादी मुकदमा ने कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया है और न ही कोई अवैध अध्यासन किया है और न ही अपने कार्यकाल में कोई गड़बड़ी की है, तो वह क्यों अभियुक्त से डरेगा।

8. यहां पर कहना महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त ने किसी को जान से मारने की धमकी या शारीरिक क्षति पहुंचाने की धमकी नहीं दी है। अभियुक्त से कोई बरामदगी होने का भी अभियोजन केस नहीं है। अतः न्यायालय के मत में, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को

19

दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्त गोपाल वनवासी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अनुसार रुपये 50,000/–(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाता है :–

(1) अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।

(2) विवेचक को विवेचना में जब भी अभियुक्त की आवश्यकता होगी, वह विवेचक द्वारा बुलाये जाने पर उसके समक्ष उपस्थित होगा।

(3) न्यायालय जब भी अभियुक्त को बुलायेगी, वह न्यायालय में उपस्थित होगा।

(4) अभियुक्त मामले सें सम्बन्धित किसी भी साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर अभियुक्त की जमानत निरस्त कर दी जायेगी।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

तद्नुसार यह जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–04–12–2025,

(पंकज तोमर)
सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर।

True Copy

20

ANNEXURE A-3

जिला अधिकारी / जिला पूर्ति अधिकारी,

महोदय कृपया नोट शीट संख्या 01 से 08 तक का अवलोकन करने का कष्ट करें। इसके उपरांत प्रकरण के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह खाती, ग्राम दशाईथल, उप्राड़ा गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ के माध्यम से जिला पूर्ति कार्यालय को प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 09.05.2025 में उनके द्वारा सूचना के अधिकार के अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 01 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी, विकासखण्ड गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ से ग्राम पंचायत उप्राड़ा द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र (residential area) के रूप में निर्दिष्ट / घोषित (designated/Declared) होने से सम्बन्धित सूचना तथा लोक सूचना अधिकारी / उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट से तहसील गंगोलीहाट के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में किसी क्षेत्र को रजिस्ट्रार कानूनगो तहसील, गंगोलीहाट से (residential area) के रूप में निर्दिष्ट / घोषित (designated/Declared) होने से सम्बन्धित प्राप्त सूचना का उल्लेख किया गया है। पताक "उ"

अवगत कराया गया है कि उनके सूचना अनुरोध पत्रों के बिन्दु संख्या 01 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना निम्नानुसार है–

1. लोक सूचना अधिकारी, विकासखण्ड गंगोलीहाट द्वारा कार्यालय पत्रांक–66 / 02–सूचना का अधिकार / 2024–25 दिनांक 25 अप्रैल 2024 के द्वारा बिन्दु संख्या 01 में सूचित किया है – **"वर्तमान में ग्राम पंचायत उप्राड़ा के अन्तर्गत पृथक से कोई क्षेत्र आवासीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है। अतः बिन्दु संख्या 01 पर सूचना धारित नहीं है।"** पताक "ब"

2. लोक सूचना अधिकारी / रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील गंगोलीहाट के कार्यालय पत्रांक–12 / सू0अ0 / 2024 दिनांक 05.10.2024 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, गंगोलीहाट के कार्यालय पत्रांक–21 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सूचित किया है – **"वांछित सूचना भू–अभिलेखों में नहीं है।"** पताक "ग"

इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रत्यावेदन में समान प्रकार / प्रकरण के वाद **(संख्या WP (C) No. 11578 of 2022)** में माननीय उच्च न्यायालय केरल द्वारा दिये गये निर्णय को संलग्न करते हुए का भी उल्लेख किया गया है, जिसके निर्णय आदेश के बिन्दु संख्या–11 में निम्नानुसार आदेश पारित है:– पताक "द"

"11. While considering the said contention, it has to be borne in mind that the Supreme Court had in V.V. B.R. Menon's case (supra) specifically directed to ensure the CPCB office memorandum of 07.01.2020 should be strictly adhered to. The office memorandum has not referred to a residential house, but only a residential area designated as per local laws. The said word have significance especially with reference to the sitting criteria. If a residential house is build on a property that by itself may not be a negative component in establishing a retail outlet unless the area where the residential house is situated falls within a designated residential area. In view of the above, the term 'residential area designated as per local laws' cannot be interpreted to mean 'a residential house'. Since admittedly the

पूर्ति निरीक्षक
जिला पूर्ति कार्यालय
पिथौरागढ़

क्रमशः....10

21

petitioners' houses are not situated within legally designated residential areas, the contention regarding violation of the sitting criteria has no legal basis."

उपरोक्त के दृष्टिगत पत्रावली महोदय के सम्मुख स्वीकृतार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है, कृपया सहमति की दशा में मानचित्र/ब्लू प्रिन्ट व निरापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहें। पताका "प"

22.05.25 कनिष्ठ लिपिक, (पे0उ0)

22/05/25 पूर्ति निरीक्षक, (मुख्यालय)

22/5/2025 क्षे0खा0अ0 (मुख्यालय)

22/5/25 जि0पू0अ0,

23/5/2025

पूर्ति निरीक्षक
जिला पूर्ति कार्यालय
पिथौरागढ़

True Copy

22

ANNEXURE A-4

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी/
खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड – गंगोलीहाट।

विषय– श्री अनिरुद्ध धानिक द्वारा दर्ज अपील के संबंध में दिनांक– 14.11.2025 को प्रेषित पत्र में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अनिरुद्ध सिंह धानिक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत मेरे द्वारा दिनांक– 14.11.2025 को महोदय को उपलब्ध करायी गई थी उक्त क्रम में अवगत कराना है कि सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पूर्व में प्रेषित सूचना के संबंध में खेद प्रकट करने एवं किसी प्रकार के तथ्यों का खण्डन करना संबंधित प्रावधान में नहीं है।

अतः मेरे द्वारा दिनांक 14.11.2025 को प्रथम अपीलीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, विकासखण्ड–गंगोलीहाट को प्रेषित पत्र में (उक्त क्रम-खण्डन करता हूं।) सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरुप नहीं है। जिस कारण मेरे द्वारा दी गयी सूचना/आख्या को निरस्त समझा जाये। अतः उक्तानुसार मेरे द्वारा वर्तमान में दी जा रही सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करने का कष्ट करेंगे।
आपके कार्यालय के पत्र संख्या 894/02 सूचना का अधिकार दि० 11 दिसम्बर 2025

दिनांक– **11.12.2025**

प्रतिलिपि– 1. ~~श्री~~ देवेन्द्र खाती, ग्राम–उप्राडा पो0ऑ0–दशाईथल।

2. श्री अनिरुद्ध धानिक, ग्राम–,पो0ऑ0– सांगड, पो0आ0–बेरीनाग।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(योगेश भारती)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत– उप्राडा
विकास खण्ड– गंगोलीहाट।

(हस्ताक्षर)
True Copy

23

ANNEXURE A-5

प्रमाण पत्र **दिनांक 23.02.2024**

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत उप्राड़ा, विकासखण्ड–गंगोलीहाट, तहसील– गंगोलीहाट, जिला– पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड में अवस्थित है। वर्तमान तिथि तक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कोई भी क्षेत्र पृथक से आवासीय क्षेत्र (Residential Area) के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

प्रधान,
ग्राम पंचायत उप्राड़ा
वि0ख0 गंगोलीहाट
जिला पिथौरागढ़।

प्रधान
ग्राम पंचायत उप्राड़ा
वि0ख0 गंगोलीहाट पिथौरागढ़

True Copy

ANNEXURE A-6

24

क्रम संख्या-61 (क)

पंजीकरण संख्या-UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 16 जून, 2023 ई0

ज्येष्ठ 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 977/VII-A-I/2023–24 ख/2007

देहरादून, 16 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–16

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त, शीर्षक्रम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्ति:–
   (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 कहलायेगी।
   (2) इनका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।
   (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगी।

परीक्षण किया जायेगा तथा अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए स्थलीय जांच/निरीक्षण हेतु समिति के सदस्यों को सूचित किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे:–

(1) आवेदन शुल्क रू0 10,000.00 की जमा रसीद।

(2) भू–कर सर्वेक्षण मानचित्र की चार सत्यापित प्रतियां या ऐसे सर्वेक्षण के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र की स्थिति में धरातल मानचित्र की ऐसे पैमाने पर, जिसमें कम से कम "4 इंच बराबर एक मील" के हो, चार ऐसी प्रतियां, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है, स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो।

(3) खसरा खतौनी की सत्यापित प्रति।

(4) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया हो।

(5) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(6) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(8) जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति।

(9) हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति।

53– प्रार्थना पत्र का निस्तारण :–

1. उपरोक्त नियम–52 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों हेतु स्थलीय जांच/निरीक्षण उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

2. मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप में स्थल विकास करने के उद्देश्य से भूमि को समतल किये जाने, भवनों के बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जाने पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व उक्त के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा। पर्वतीय क्षेत्रों मे उपरोक्तानुसार उल्लिखित क्रिया कलापों हेतु सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। इस हेतु Excavator मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों मे उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित खान निरीक्षक/जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। उक्त क्रिया कलाप खनन की श्रेणी मे नही आयेंगे तथा उक्त हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

3. नियम–51 (2) में उल्लिखित अनुज्ञाओं यथा ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के खुदान, साधारण मिट्टी का खुदान एवं जल विद्युत परियोजना के निर्माण की टनल आदि से निकलने वाले उपयोगी उपखनिजों, जिनका व्यवसायिक/परियोजना निर्माण में उपयोग किया जायेगा, के सम्बन्ध में अध्याय–2 के नियम–7 में गठित समिति के द्वारा स्थलीय जांच/निरीक्षण किया जायेगा। गठित समिति की उक्त

जांच आख्याओं के आधार पर सम्बन्धित जिलाधिकारी अनुज्ञा पत्र देने से इन्कार कर सकता है या ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन जो आवश्यक समझें, प्रार्थित क्षेत्र के कुल या कुछ भाग के लिये एक नियत अवधि हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे क्षेत्र के लिये, जो पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र के अधीन पहले से धृत है, अनुज्ञा पत्र दिये जाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र समय से पूर्व समझा जायेगा और उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा और यदि कोई प्रार्थना पत्र शुल्क दिया गया है, तो उसे वापस नही किया जायेगा।

4. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में किया जायेगा। यह प्रक्रिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी व अन्य कर देय नहीं होंगे। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटिरियल का अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का जिला खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा तथा तदोपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा उक्त उपखनिज के अन्यत्र परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, जिप्सम आदि के स्वीकृत खदानों से ओवरबर्डन (Over burden) के रूप में निकलने वाले वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) को विभागीय रसायन प्रयोगशाला की विश्लेषण आख्या के आधार पर वेस्ट मैटिरियल (Waste Material) होने पर अन्यत्र परिवहन हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, जिस हेतु नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी निर्माण इकाईयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सिंचाई विभाग, डी0जी0बी0आर(ग्रेफ), राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि द्वारा सड़क, पहुंच मार्ग आदि बनाये जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि के निर्माण कार्य उपयोग हेतु अग्रिम रॉयल्टी को जमा कराये जाने तथा वांछित प्रपत्रों को निर्गत करने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी अधिकृत होंगे।

54—स्वामित्व का जमा किया जाना :—

(1) जब नियम 53 के अधीन खनन अनुज्ञा पत्र दिये जाने का आदेश दे दिया जाय, तब प्रार्थी आदेश की संसूचना दिये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, उक्त आदेश के अनुज्ञात खनिज की कुल मात्रा के लिये नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्काल विनिर्दिष्ट दर पर एक मुश्त स्वामित्व अग्रिम रूप से जमा करेगा। यदि अनुज्ञापत्र धारक किसी कारण से, जो उसके द्वारा हुआ माना जाय, अनुज्ञात

True Copy

27
ANNEXURE A-7

कार्यालय आदेश

खान निरीक्षक/प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–1187/भू0खनि0 वि0पि0/भूमि समतलीकरण/2023–24 दिनांक 20.01.2024 से श्री देवेन्द्र सिंह खाती पुत्र श्री पुष्कर सिंह खाती निवासी ग्राम दशाईथल तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ को ग्राम उप्राड़ा पट्टी दशाईथल के ख0खा0सं 41 बसरा संख्या–478 मध्ये 0.006 है0 निजी भूमि को इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिडेड के निर्माण हेतु भूमि को समतलीकरण किये जाने हेतु जे0सी0बी0 मशीन की अनुमति प्रदान हेतु निर्धारित प्रारूप एम0एम0–08 में आवेदन शुल्क रू0 10,000/–00 दस हजार चालान संख्या–08530124E 0031866 दिनांक 18.01.2024 से जमा राजकोष किया गया है।

जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा आवेदक उपरोक्त को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमवली–2023 के अन्तर्गत तथा निकलने वाली मृदा को आवेदक द्वारा अपनी नाप भूमि में रखे जाने के दृष्टिगत जे0सी0बी0 (एक्सकेवेटर) मशीन के उपयोग की अनुमति हेतु निम्न सुझाव के अधीन (वर्षाकाल छोड़कर) संस्तुति दी गयी है, जो निम्न प्रकार है–

1. जे0सी0बी0 से भूमि को समतलीकरण के दौरान निकटवर्ती स्थानों पर किसी प्रकार की क्षति न होने पाये, क्षति होने की दशा में पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
2. समतलीकरण स्थल एवं स्थल के आस–पास लगे भू–भाग को सुरक्षित किये जाने हेतु सुरक्षात्मक उपाय तत्काल किये जाने होंगें।
3. समतलीकरण कार्य आवेदिक स्थल से बाहर किये जाने पर उत्तराखण्ड (अवैध खनन, भण्डारण परिवहन) नियमावली–2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जानी होगी।
4. स्थल विकास के दौरान किसी प्रकार का स्थलीय/स्थानीय विवाद होता है तो विवाद का निपटारा आवेदक द्वारा स्वयं किया जाना होगा।
5. समतलीकरण के दौरान प्राप्त मिट्टी का किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रयोग करने की दशा में अग्रिम रूप से रॉयल्टी एवं अन्य देयक निर्धारित लेखाशीर्षक मे जमा करना अनिवार्य होगा, एवं अन्यत्र परिवहन करने से पूर्व खान अधिकारी पिथौरागढ़/तहसीलदार गंगोलीहाट को सूचित कराना अनिवार्य होगा।
6. समतलीकरण हेतु आवेदित क्षेत्र मोटर मार्ग से लगा हुआ भू–भाग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 309 ए से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
7. समतलीकरण कार्य के दौरान मोटर मार्ग पर किसी प्रकार का व्यवधान न किया जाय, व्यवधान उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदार आवेदक की निर्धारित की जायेगी।

खान निरीक्षक/प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ़ के पत्र संख्या–1187/भू0खनि0 वि0पि0/भूमि समतलीकरण/2023–24 दिनांक 20.01.2024 के द्वारा आवेदक को भूमि समतलीकरण हेतु जे0सी0बी0 (एक्सकेवेटर) मशीन की अनुमति अधिकतम 20 दिनों हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है। उक्त पत्र के आधार पर आवेदक उपरोक्त को भूमि समतलीकरण हेतु जे0सी0बी0 (एक्सकेवेटर) मशीन की अनुमति निम्न शर्तो के आधार पर प्रदान की जानी उचित प्रतीत होती है–

1. समतलीकरण हेतु आवेदक द्वारा निकटवर्ती गंगोलीहाट–बेरीनाग मोटर मार्ग को नुकसान नही किया जाना होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक तथा प्रार्थिनी की होगी।
2. समतलीकरण कार्य मोटर मार्ग से उचित दूरी छोड़कर किया जाना होगा। समतलीकरण हेतु ग्राम उप्राडा के गै0ज0वि0ख0खा0सं0 41 बसरा संख्या–478 मध्ये 0.060 है0 भूमि प्रस्तावित है।

क्रमशः.........................(2)

3. समतलीकरण से निकलने वाले मलवे का प्रयोग केवल निजी नाप भूमि/वांछित चयनित स्थान में ही किया जाना होगा। किसी भी स्थिति में इसका व्यवसायिक प्रयोग न किया जाय। किसी भी स्थिति में मलवा अन्य काश्तकारों की भूमि या नदी की ओर नहीं फेंकना होगा।
4. समतलीकरण स्थल के पिछले भाग की ओर स्थल को सुरक्षित किये जाने हेतु समतलीकरण किये जाने के पश्चात् तत्काल सुरक्षात्मक कार्य/दीवार का निर्माण किये जाने आवश्यक होगें।
5. जे0सी0बी0 (एक्सकेवेटर) मशीन का प्रयोग <u>दिनांक 27 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 (कुल 20 दिन)</u> तक समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक ही किया जायेगा।
6. कार्य क्षेत्र के आप–पास भवनों या सरकारी सम्पत्तिों पर क्षति/नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी निर्धारित की जायेगी।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक उपरोक्त को राजस्व उपनिरीक्षक, गंगोलीहाट एवं खान अधिकारी, पिथौरागढ़ की आख्या/सूचना के आधार पर उक्त शर्तो के अधीन उक्त प्रस्तावित भूमि में जे0सी0बी0 (एक्सकेवेटर) मशीन की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त शर्तो का पालन न किये जाने की दशा में आपके विरूद्ध खनन नियमावली के नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

दिनांक 25 जनवरी 2024

उप जिलाधिकारी कार्यालय गंगोलीहाट दिनांक

25/01/2024

(भगवत सिंह फोनिया)
उप जिलाधिकारी,
गंगोलीहाट।

<u>कार्यालय उपजिलाधिकारी, गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)</u>

संख्या 55 /विविध–भूमि समतलीकरण–मशीन–अनुमति/23–24 दिनांक 25 जनवरी 2024

प्रतिलिपि निम्नाकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. तहसीलदार गंगोलीहाट को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग लोहाघाट (चम्पावत)।
4. खान निरीक्षक/प्रभारी जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. राजस्व निरीक्षक/राजस्व उप निरीक्षक, दशाईथल तहसील गंगोलीहाट को इस आशय से प्रेषित कि आवेदक द्वारा उक्त शर्तो एवं समयावधि का उल्लघंन किये जाने पर तत्काल खनन नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6. थानाध्यक्ष गंगोलीहाट को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. श्री देवेन्द्र सिंह खाती पुत्र श्री पुष्कर सिंह खाती निवासी ग्राम दशाईथल तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शर्तो का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अनुपालन न किये जाने की दशा में उक्त अनुमति स्वतः ही समाप्त की जायेगी।

25/01/2024

(भगवत सिंह फोनिया)
उप जिलाधिकारी,
गंगोलीहाट।

True Copy

Gmail

Vivek Gupta <officevivekgupta@gmail.com>

PROOF OF SERVICE

Additional Affidavit on behalf of Respondent No.2 Devendra Singh Khati in O.A. No.416 of 2025 titled as Gopal Chandra Vanwassi Versus Indian Oil Corporation Limited & Ors.

1 message

Vivek Gupta <officevivekgupta@gmail.com> 2 February 2026 at 11:30
To: "V.K. Shukla" <vkslawoffices@gmail.com>, Mukesh Verma <mvermadv@gmail.com>, Priya Puri <hkpuriandco@gmail.com>

Dear Sir,

Please find the attached pdf. of Additional Affidavit on behalf of Respondent No.2 Devendra Singh Khati in O.A. No.416 of 2025 titled as Gopal Chandra Vanwassi Versus Indian Oil Corporation Limited & Ors.

Kindly treat this email as an advance service and acknowledge the same.

Thanks & Regards,

VIVEK GUPTA
Advocate for the Respondent No.2
M.No.9871065420

Additional Affidavit Devendra Singh Khati.pdf
8723K